


21/12/23

फावकी पेश हुई। वकील की कथना
वजिगब की ओर से कोई आपत्ति
नहीं है। बार - बार आवाज लगवाई
गई। बावजूद आवाज के भी कोई
आपत्ति नहीं आया है। अतः वजिगब
का वास्तु कदम हाजिरी कदम पेंच में
शारीर किया जाता है। फावकी प्रेसल
सुधार होकर नम्बर से कम है। अपील
दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
लाहसोट जिला-दीसा (राज०)

